सचिका स0–7 / विविध–28–10 / 2024 — 33 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शभू शरण,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एव ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 15/ 05/2025

विषयः– होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर अंतर्गत कैंसर के मरीजों के प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल (Palliative Care) हेतु 100 शय्या के प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल केन्द्र के निर्माण के लिए टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को एकमुश्त राशि रु० 1,12,00,00,000/– (एक अरब बारह करोड़) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रु0 20,00,00,000/–(रुपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कैसर रोग की चिकित्सा एवं रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासो अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार एव टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई के सहयोग से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की स्थापना करने का निर्णय मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–11 07 2018 के मद् सख्या–8 में लिया गया है। इसके लिए पूर्व मे श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर परिसर मे ही 15 एकड़ की भूमि निःशुल्क सस्थान को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस क्रम मे मत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–22 11 2023 मे मद सख्या–19 के रूप में अस्पताल भवन के निर्माण हेतु रू० 100 00 करोड (रूपये एक सौ करोड) मात्र अनुदान के रूप में दिये जाने की पूर्व में स्वीकृति भी दी जा चुकी है, जिसपर अस्पताल भवन निर्माणाधीन है।

2– होमी भाभा कैंसर अस्पताल एव अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के विस्तारीकरण के लिए मत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–15.03 2024 की मद सख्या–63 मे 30 एकड भूमि का निःशुल्क स्थानान्तरण किया गया है।

3– चिकित्सा के दौरान यह परिलक्षित हुआ है कि लगभग 50 से 55 प्रतिशत कैसर मरीजो को चिकित्सा / सर्जरी के पश्चात् प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल (Palliative Care) की आवश्यकता है। वर्तमान मे सस्थान मे केवल प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल (Palliative Care) हेतु मात्र ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध है। कैसर मरीजो का अत.वासी सुविधा अतर्गत समुचित प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल (Palliative Care) के लिए प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल (Palliative Care) केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4– वर्णित समस्याओ के निदान हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल एव अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या–02 / 515 / 2024, दिनाक–22 10.2024 द्वारा रु0 112 00 करोड (रूपये एक सौ बारह करोड) मात्र की राशि विमुक्ति करने की माग की गयी है, जिसके आलोक मे विभागीय राज्यादेश संख्या–224(7), दिनाक–21.10.2024 द्वारा रु0 112.00 करोड मात्र के अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 307(7), दिनांक–23 12. 2024 द्वारा उक्त स्वीकृत योजना अंतर्गत राशि रू० 5 00 करोड की व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर अतर्गत कैसर के मरीजो के प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल (Palliative Care) हेतु 100 शय्या के प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल केन्द्र के निर्माण के लिए टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को एकमुश्त राशि रु० 1,12,00,00,000/– (एक अरब बारह करोड) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे कुल रु0 20,00,00,000/–(रुपये बीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के उपमुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष– 105–एलोपैथी, उपशीर्ष– 0122–होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड– 20–2210051050122 के अतर्गत विषय शीर्ष–0122–31–05 सहायक अनुदान–परिसपत्तियो के निर्माण मद मे बजट उपबध से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे। चूँकि, इस उपबधित राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को उनके बैक खाते मे एकमुश्त उपलब्ध कराया जाना है। अतएव निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक मे राशि की निकासी कर खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के पी०एल० खाता संख्या– PBBPLA011 एव विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 तथा Ledger ID--------- में जमा करायेगे।

8– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र स0–8599, दिनाक–01 10 2015 के आलोक में धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनांक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनांक–03.12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– स्वीकृत्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/विविध–28–10/ 2024 के पृष्ठ–127 टि0 मे प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13– संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–28–10/2024– 33 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–15/05/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक एव प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एव 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव